



BHAGALPUR
Smart City-My Dream City

कार्यालय नगर निगम, भागलपुर

स्वामी विवेकानन्द पथ
कचहरी कैम्पस
भागलपुर

logon to- bhagalpurnagarnigam.in, e-mail- nagarnigambhagalpur@gmail.com, contact- 0641-2302035



पत्रांक ~~1.2.67~~ / भा0न0नि0,

दिनांक ~~15.11.~~ / 2018

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, भागलपुर

सेवा में,

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार पटना।

विषय:-

अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग-

भवदीय पत्रांक 07 / अंके0-77 / 2014 2122 / न0वि0एवंआ0वि0 पटना दिनांक 13.09.18

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 18 / 2000-01

08 / 2001-02, 466, / 2006-07, 414 / 2006,-07, 416 / 2008-09, 691 / 2009-10,
560 / 2010-11, 69 / 1999-2000, 514 / 2011-12, 531 / 2012-13, 595 / 2013-14, इस
कार्यालय के पत्रांक 633 / भा0न0नि0 दिनांक 20.02.15 के द्वारा पूर्व में उपलब्ध करा दिया गया है।

पुनः सुलभ प्रसंग हेतु पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।


अनुलग्नक-यथोपरि


विश्वासभाजन

2-11-18
नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर
भागलपुर

क्र०	कॉडिका सं०	अंकेक्षण आपत्ति	प्रतिवेदन
1	19ए०	योजना सं० 20 / 2009-10	दो निविदा प्राप्त हुआ है जिसमें जय माँ तारा कंस्ट्रक्शन निविदा दाता का तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दोनों एक ही लिफाफा में रहने के कारण उस समय नहीं खोला गया चांदा में जय माँ तारा कंस्ट्रक्शन से आवेदन प्राप्त (आवेदन की छाया प्रति संलग्न) होने पर दोनों निविदा खोल कर कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कार्य आवंटित करने की अनुशंसा की गई अगले अंकेक्षण में सम्पूर्ण संचिका पूरा अवलोकन कराया जा सकता है
2	19बी०	योजना सं० 3 / 2009-10	इस योजना में प्राक्कलन एवं एकरारनामा के अनुरूप मापी पुस्तिका के आधार पर भुगतान किया गया है स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा से अधिक भुगतान नहीं किया गया है। अगले अंकेक्षण में सम्पूर्ण संचिका पूरा अवलोकन कराया जा सकता है
3	19बी०	योजना सं० 32 / 2009-10	इस योजना में प्राक्कलन एवं एकरारनामा के अनुरूप मापी पुस्तिका के आधार पर भुगतान किया गया है स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा से अधिक भुगतान नहीं किया गया है। अगले अंकेक्षण में सम्पूर्ण संचिका पूरा अवलोकन कराया जा सकता है।
4	19 सी०	92 योजना में रॉयल्टी जमा करने के संबंध में।	सभी योजनाओं का उपयोग किये गये मेटेरियल का रॉयल्टी काटकर संबंधित विभाग में जमा किया गया है। अगले अंकेक्षण में पुनः अवलोकन कराया जा सकता है।
5	19 डी०	विलम्ब शुल्क काटने के संबंध में।	संबंधित संवेदक के अग्रधन राशि से समायोजित की जा रही है।
6	19 ई०	योजना सं० 16 / 2001-02	आदेशानुसार श्री हरेराम चौधरी कनीय अभियंता से बदलकर श्री नवीन कुमार सिंह कनीय अभियंता को कार्य करने का आदेश दिया गया है।
7	20 ए०	लेबर सेस कटौती के संबंध में।	पूर्व में इसकी जानकारी नहीं रहने के कारण इसका प्रावधान प्राक्कलन में नहीं किया जाता था और ना काटा जाता था। अब इसकी कटौती चालू कर दी गई है।


B	21	सोलर लाइट खरीद के संबंध में	<p>क्रय समिति के दिनांक 10.04.12 को सम्पन्न क्रय समिति की बैठक प्रस्ताव सं० 02 के निर्णयानुसार मेसर्स गणेश ट्रेडर्स का निविदा क्रय समिति द्वारा मो० 31,000 /-रु० प्रति सेट 05 वर्ष निःशुल्क मेंटेनेंस की गारंटी को स्वीकार करते हुए क्रय समिति द्वारा उनका दर स्वीकार किया गया। तदनुसार आपूर्ति आदेश दिया गया।</p>
---	----	-----------------------------	--



 प्रभासी यजिना शाखा
 नगर निगम, भागलपुर


 नगर आधुक्ता
 भागलपुर नगर निगम

क्र०	कडिका सं०	अंकेक्षण आपत्ति	प्रतिवेदन
1	19ए०	योजना सं० 20/2009-10	दो निविदा प्राप्त हुआ है जिसमें जय माँ तारा कंस्ट्रक्शन निविदा दाता का तकनीकी वीड एवं वित्तीय वीड दोनों एक ही लिफाफा में रहने के कारण उस समय नहीं खोला गया बाद में जय माँ तारा कंस्ट्रक्शन से आवेदन प्राप्त (आवेदन की छाया प्रति संलग्न) होने पर दोनों निविदा खोल कर कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कार्य आवंटित करने की अनुशंसा की गई अगले अंकेक्षण में सम्पूर्ण संचिका पूनः अवलोकन कराया जा सकता है।
2	19बी०	योजना सं० 3/2009-10	इस योजना में प्राक्कलन एवं एकरारनामा के अनुरूप मापी पुस्तिका के आधार पर भुगतान किया गया है स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा से अधिक भुगतान नहीं किया गया है। अगले अंकेक्षण में सम्पूर्ण संचिका पूनः अवलोकन कराया जा सकता है।
3	19बी०	योजना सं० 32/2009-10	इस योजना में प्राक्कलन एवं एकरारनामा के अनुरूप मापी पुस्तिका के आधार पर भुगतान किया गया है स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा से अधिक भुगतान नहीं किया गया है। अगले अंकेक्षण में सम्पूर्ण संचिका पूनः अवलोकन कराया जा सकता है।
4	19 सी०	92 योजना में रॉयल्टी जमा करने के संबंध में।	सभी योजनाओं का उपयोग किये गये मेटेरियल का रॉयल्टी काटकर संबंधित विभाग में जमा किया गया है। अगले अंकेक्षण में पुनः अवलोकन कराया जा सकता है।
5	19 डी०	विलम्ब शुल्क काटने के संबंध में।	संबंधित संवेदक के अग्रधन राशि से समायोजित की जा रही है।
6	19 ई०	योजना सं० 16/2001-02	आदेशानुसार श्री हरेराम चौधरी, कनीय अभियंता से बदलकर श्री नवीन कुमार सिंह कनीय अभियंता को कार्य करने का आदेश दिया गया है।
7	20 ए०	लेबर सेस कटौती के संबंध में।	पूर्व में इसकी जानकारी नहीं रहने के कारण इसका प्रावधान प्राक्कलन में नहीं किया जाता था और ना काटा जाता था। अब इसकी कटौती चालू कर दी गई है।

8.	21	सोलर लाईट खरीद के संबंध में	क्रय समिति के दिनांक 10.04.12 को सम्पन्न क्रय समिति की बैठक प्रस्ताव सं० 02 के निर्णयानुसार मेसर्स गणेश ट्रेडर्स का निविदा क्रय समिति द्वारा मो० 31,000/-रु० प्रति सेट 05 वर्ष निःशुल्क मेंटेनेंस की गारंटी को स्वीकार करते हुए क्रय समिति द्वारा उनका दर स्वीकार किया गया। तदनुसार आपूर्ति आदेश दिया गया।
----	----	-----------------------------	--


 प्रभारी योजना शाखा
 नगर निगम, भागलपुर


 नगर आयुक्त
 भागलपुर, नगर निगम

कार्यालय नगर निगम, भागलपुर

अंकेक्षण आपत्ति 531/2012-13

स्वास्थ्य शाखा से संबंधित प्रतिवेदन

५५

क्र०	कॉडिका सं०	अंकेक्षण आपत्ति	प्रतिवेदन
1	18(i)	रैम्की इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स के भुगतान के संबंध में	निविदा विभाग द्वारा आमंत्रित की गयी थी। विभाग में ही मो० 200000/- रु० का बैंक ड्राफ्ट जमा किया गया था। नगर निगम, भागलपुर में अग्रसारित नहीं किया गया था। अग्रसारित नहीं होने के कारण नगर निगम, भागलपुर में जमा नहीं किया गया है।
2	(ii)		इस बिन्दु पर कम्पनी के साथ पत्राचार की जा रही है।
3	(iii)		निगम प्रशासन एवं प्रबंधन, रैम्की के द्वारा हुए वार्ता में लगाये गये अस्थायी मजदूरों का भुगतान किये गये राशि का समायोजन कर ली गयी है। परंतु कम्पनी द्वारा स्थायी सफाई कर्मियों का भुगतान के बिन्दु पर प्रबंधन द्वारा विरोध किये जाने के कारण वसूल नहीं किया जा सका। आगे बकाया राशि से वसूल करने की कार्रवाई की जायेगी।
4	(iv)		एकरारनामा में निगम द्वारा रैम्की कम्पनी को सफाई उपकरण के रख रखाव हेतु उपलब्ध कराने का उल्लेख था, किन्तु उपलब्ध कराये गये जमीन का किराया वसूली के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था।

शाखा प्रभारी
नगर निगम, भागलपुर

अध्यक्ष आयुक्त
नगर निगम

कार्यालय नगर निगम भागलपुर


45

अंकेक्षण आपत्ति-531/2012-13

स्वास्थ्य शाखा से संबंधित प्रतिवेदन

क्र०	कॉडिका सं०	अंकेक्षण आपत्ति	प्रतिवेदन
1	18(i)	रैम्की इन्फ्राइरो इंजीनियर्स के भुगतान के संबंध में	निविदा विभाग द्वारा आमंत्रित की गयी थी। विभाग में ही मो० 200000/- रु० का बैंक ड्राफ्ट जमा किया गया था। नगर निगम, भागलपुर में अग्रसारित नहीं किया गया था। अग्रसारित नहीं होने के कारण नगर निगम, भागलपुर में जमा नहीं किया गया है।
2	(ii)		इस बिन्दु पर कम्पनी के साथ पत्राचार की जा रही है।
3	(iii)		निगम प्रशासन एवं प्रबंधन रैम्की के द्वारा हुए वार्ता में लगाये गये अस्थायी मजदूरों का भुगतान किये गये राशि का समायोजन कर ली गयी है। परंतु कम्पनी द्वारा स्थायी सफाई कर्मियों का भुगतान के बिन्दु पर प्रबंधन द्वारा विरोध किये जाने के कारण वसूल नहीं किया जा सका। आगे बकाया राशि से वसूल करने की कार्रवाई की जायेगी।
4	(iv)		एकरारनामा में निगम द्वारा रैम्की कम्पनी को सफाई उपकरण के रख रखाव हेतु उपलब्ध कराने का उल्लेख था, किन्तु उपलब्ध कराये गये जमीन का किराया वसूली के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था।

प्रतिवेदन
शाखा प्रभारी
नगर निगम, भागलपुर


नगर आयुक्त
भागलपुर, नगर निगम

कार्यालय नगर निगम, भागलपुर


अंकेक्षण आपत्ति 531 / 2012-13

46

कर शाखा से संबंधित प्रतिवेदन

क्र०	कडिका सं०	अंकेक्षण आपत्ति	प्रतिवेदन
1	12	कम होल्डिंग टैक्स वसूली के संबंध में	कर निर्धारण 16 वर्ष पूर्व ही किया गया है। सरकार के निर्देशानुसार नया कर निर्धारण किया जा रहा है, जिससे टैक्स में बढौतरी की संभावना है।

कर शाखा प्रभारी
नगर निगम, भागलपुर
21/11/12


अधीक्षक
नगर निगम